प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,

उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग,

लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 13 अप्रैल, 2020

विषयः- उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 193.72 (रूपये एक करोड़ तिरानवे लाख बहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 96.86 (रूपये छियानबे लाख छियासी हजार मात्र) स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**(धनराशि लाख रू0 में)**

| क्र0स0 | मानक मद का नाम | आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | 41.80 | 20.90 |
| 2 | 31-सहायता अनुदान-सामान्य ( वेतन) | 151.92 | 75.96 |
| | योग | 193.72 | **96.86** |

(क) धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अतः धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(ख) उक्त धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में ऐसी धनराशि का उपयोग 'नई मदों/सेवाओ' पर व्यय के लिए न किया जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ग) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या- बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(घ) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय की मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर -12 में दी गयी शर्तो की प्रति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(च) धनराशि का यथासमय एक माह की आवश्यकतानुसार आहरण कर व्यय/उपभोग किया जाय तथा व्यय/उपभोग का विवरण बी0एम0-13 प्रपत्र पर प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-105-विशेष जॉच आयोग-04 अल्पसंख्यक आयोग को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) एवं 31-सहायता अनुदान(वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

**संख्या-540(1)/52-1-2020, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग-4
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in